"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जनवरी 2013—माघ 9, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिए विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग द्वारा तीन माह के भीतर राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जानी थी.

2. निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह, अधिसूचना दिनांक 18-11-2011 द्वारा छः माह, दिनांक 10-05-2012 द्वारा छः माह एवं दिनांक 12-11-2012 द्वारा तीन माह की समयवृद्धि की गई थी.

3. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 11-02-2013 से दिनांक 10-08-2013 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.